



राज्य शाही आजीविका मिशन, (एस०ट्यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सृडा उ.प्र.)

प्रथम तल पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक-२३४ / 241 / NULM / तीन / 2001(SEP)TC

दिनांक १४-३-१६

सेवा में

- समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
झूडा, उ0प्रो।
 - परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट आफिसर
नगर निगम
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली,
गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।
 - परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट आफिसर
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत
लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ बहराइच
बलिया, बांदा, बरस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्मल, चौरासी, शिकोहाबाद, मुगलसराय, बडौत
(बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड, हरदोई
हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर
मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव
औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर)
हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पड़रौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाबा
(संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, रावर्टसगंज (सोनभद्र) अमेठी, झानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपु
(कानपुर देहात), मङ्गनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावरती)।

विषय:- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत बैंकों के द्वारा ऋण आवेदनों का समय पर निपटान एवं SLBC एवं DCC बैठकों में इस विषय की प्रगति के अनुश्रवण के संबंध में।

महोदया / महोदय,

उपरोक्त विषयक आवास एवं शहरी ग्रीष्मी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक K-14014/38/2013-UPA(Vol-II) (FTS 13964) दिनांक 19-02-2016 द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों का समय पर निपटान और SLBC एवं DCC की बैठकों के इस विषय की प्रगति के अनुश्रवण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक—विसविविकेका0जीएसएसडी0सं04097 / 09.16.03 / 2015-16, दिनांक—27.01.2016 पत्र सलग्नक कर उपलब्ध कराया गया है।

उक्त पत्र के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत ऋण आवेदनों का समय पर निपटान करने हेतु मुख्य बैंकों के साथ बैठक करें और SLBC एवं DCC/उप-समिति बैठकों में इस विषय में प्रगति पर विशेष ध्यान दें।

उपरोक्त पत्र आपको इस आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका

मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम (SEP) के ऋण आवेदनों का समय से निपटान हेतु जिला स्तर पर बैंकर्स कमेटी में संलग्न प्रपत्रों पर चर्चा की जाए तथा साथ ही सभी बैंकों को यह प्रपत्र भी उपलब्ध करायें जाए।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय


OL (शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0शासन।
3. समन्वयक, SLBC बैंक ऑफ बड़ौदा, लखनऊ।
4. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, इडा उ0प्र0।
5. समस्त सिटी मिशन मैनेजर।
6. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
OL
मिशन निदेशक

Government of India

Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation
(UPA Division)Nirman Bhavan, New Delhi
Dated: 14th February, 2016

To

All Mission Directors
SULM
All States/UTs

Subject: Timely disposal of loan applications by Banks under SEP component of NULM and inclusion of NULM as an agenda item in appropriate sub committee of SLBC.

Sir/Madam,

The matter regarding pendency of loan applications in Banks was raised with RBI. RBI was requested to issue suitable instructions to all scheduled commercial banks for implementation of RBI instructions for timely disposal of loan applications. Ministry had also requested RBI for including NULM as an agenda in the appropriate sub-committee of SLBC.

2. In response, RBI vide its letter dated 27.1.2016 has intimated that the matter was taken up with Regional Officers of RBI, who have in turn convened meetings with SLBC convenor banks in their respective states and instructed them to resolve pendency of applications under NULM in a timely manner and to keep a watch on progress in DCC meetings. Also, Convener SLBC Banks have been advised vide RBI circular dated 23.11.2015 (copy enclosed) to make necessary arrangements in their respective states to include NULM as an agenda item in the sub-committee of SLBC that monitors NRLM.

3. SULMs are requested to note the instructions of RBI and take up the matter in their meetings with SLBC and DCC.

(Encl: A/a)

mmr
01/3/16
fcl PD
01/3/16

PD
✓
TC
2/3/16
SMM (EST&L)
2345(PD)

✓
u-3
g.D.

Yours faithfully,

(P.V. Nair)
Under Secretary (UPA-I)
Tele: 23061185



भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

विसविवि.कैंका.जीएसएसडी.सं. 4097 /09.16.03/2015-16

27 जनवरी 2016

सुश्री अर्चना मित्तल

निदेशक

भारत सरकार

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (यूपीए अनुभाग)

निर्माण भवन

नई दिल्ली - 110041.

महोदया

31(1)(h)
माय 11/2/16
RJ

विषय : एनयूएलएम के घटक - स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के अंतर्गत बैंकों द्वारा क्रृष्ण आवेदनों का समय पर निपटान और एसएलबीसी की यथोचित उप-समिति में एनयूएलएम का एजेंडा मद के रूप में समावेश

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 जनवरी 2016 का आपका पत्र सं. के-14014/38/2013-यूपीए (vol.II) /एफटीएस: 13964 देखें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

1. हमने सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 30 सितंबर 2015 के अपने मेल (सीसी - श्री बी. के.अगरवाल, संयुक्त सचिव) द्वारा सूचित किया था कि वे आवेदनों के निपटान में विलंब के बारे में भारत सरकार की चिंताओं का समाधान करने के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम)/एसएलबीसी संयोजक बैंकों और संबंधित राज्यों के मुख्य बैंकों के साथ बैठक आयोजित करें और एनयूएलएम पर जारी दिनांक 30 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का पालन करें। हमने यह भी सूचित किया है कि आवेदनों के समय पर निपटान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और एसएलबीसी बैठकों में प्रगति पर निगरानी रखी जानी चाहिए।

तदनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने संबंधित राज्यों में एसएलबीसी संयोजक बैंकों के साथ बैठकें आयोजित की हैं और उन्हें अनुदेश दिए हैं कि वे एनयूएलएम के अंतर्गत आवेदनों के समय पर निपटान में विलंब का समाधान करें और अपनी डीसीसी बैठकों में इस विषय में प्रगति पर विशेष ध्यान दें।

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, पो.बा.सं.10014, मुंबई 400 001

टेलीफोन /Tel No: 91-22-22661000 फैक्स/Fax No: 91-22-22621011/22610948/22610943 ई-मेल/ Email ID: cgmincrpcd@rbi.org.in

Financial Inclusion & Development Department, Central Office, 10th Floor, C O Building, Post Box No.10014, Mumbai 400 001

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

"चेतावनी" : रिजर्व बैंक द्वारा मेल, डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के आते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जलाव मत दीजिए।

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, password's etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

उन्होंने एसएलबीसी को यह भी सूचित किया है कि वे एनयूएलएम के मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का पालन करें और एनयूएलएम के बारे में भारत सरकार के अनुदेशों का भी पालन करें।

2. हमने एसएलबीसी संयोजक बैंकों को दिनांक 23 नवंबर 2015 के परिपत्र ग्रामांकिकेका. एलबीएस.सं.2939/02.13.001/2015-16 द्वारा यह सूचित किया है कि वे अपने संबंधित राज्यों में एनआरएलएम पर निगरानी रखने वाली एसएलबीसी की उप-समिति में एजेंडा के रूप में एनयूएलएम को शामिल करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें (प्रतिलिपि संलग्न)।

भवदीया

उमा नारायणन
(उमा नारायणन)

महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

ग्रा.आ.ऋ.वि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.2939/02.13.001/2015-16

23 नवंबर 2015

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एसएलबीसी संयोजक बैंक
(संलग्न सूची के अनुसार)

प्रिय महोदय / महोदया,

एसएलबीसी की उप-समिति में एनयूएलएम का एजेंडा के रूप में समावेश

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की प्रगति पर निगरानी रखने वाली एसएलबीसी की उप-समिति में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) से संबंधित एजेंडा मटों को शामिल करने के लिए रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया है।

2. अतः एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने संबंधित राज्यों में एनआरएलएम पर निगरानी रखने वाली एसएलबीसी की उप-समिति में एजेंडा के रूप में एनयूएलएम को शामिल करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।

भवदीय

ह/-
(राजेश बंसल)
महाप्रबंधक

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई - 400001

Financial Inclusion & Development Dept, Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No.10014,Mumbai-1

टेली Tel:022-22601000 फैक्स: 91-22-22621011/22610943/22610948 ई-मेल : cgmindfidd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ावा दें।

"योग्यतावाली रिज़र्व बैंक द्वारा देने का योग्यता वाला डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की श्री व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के छाते का स्थायी, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने वा देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जबाब भी दीजिए।"

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.



भारतीय रिजर्व बँक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

FIDC CO.GSSD.NO.4097 /09.16.03/2015-16

January 27, 2016

Ms. Archana Mittal
Director
Government of India
Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation (UPA Section)
Nirman Bhawan,
New Delhi

Madam,

Sub: Timely Disposal of loan applications by Banks under Self-Employment Programme (SEP) component of NULM and inclusion of NULM as an agenda item in appropriate sub-committee of SLBC.

Please refer to your letter No.K-14014/38/2013-UPA (vol.II)/FTS:13964 dated January 06, 2016 on the captioned subject.

The action taken by RBI is as under:

1. We had advised all concerned Regional Offices (ROs) vide our mail dated September 30, 2015(cc to JS Shri B K Agarwal) to convene a meeting with State Urban Livelihoods Mission (SULM) / SLBC convenor banks and major banks in their respective States to convey the GOI concerns about pendency of applications and to follow instructions contained in the Master Circular dated July 30, 2015 issued on NULM. We had also advised that timely disposal of applications should be ensured and progress monitored in SLBC meetings.

Accordingly, ROs have convened meetings with SLBC convenor banks in their respective states and instructed them to resolve pendency of applications under NULM in a timely manner & keep watch on progress in their DCC meetings. They have also advised SLBCs to follow instructions of NULM master circular and GOI instructions regarding NULM as well.

2. We have advised SLBC Convenor Banks vide Circular RPCD.CO.LBS.No.2939 /02.13.001 /2015-16 dated November 23, 2015 to make necessary arrangements in their respective states to include NULM as an agenda in the Sub Committee of SLBC that monitors NRLM (copy enclosed).

Yours faithfully,

Uma Narayanan

(Uma Narayanan)
General Manager

Encl: As above

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10 वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पीस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई - 400001 Financial Inclusion & Development Dept., Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No.10014, Mumbai-1

टेली Tel:022-22601000 फैक्स: 91-22-22621011/22610943/22610948 ई-मेल : cgmncfid@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ावहाए।

"ये तावनी : रिजर्व बँक द्वारा मेल-डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बँक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि जहाँ मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।"



मार्तीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

217

RPCD. CO.LBS. BC. No.2939/02.13.001/2015-16

November 23, 2015

The Chairmen and Managing Directors
SLBC Convener Banks
(As per list attached)

Dear Sir,

Inclusion of NULM as an agenda in the Sub-Committee of SLBC

The Government of India has requested RBI to include agenda items related to National Urban Livelihood Mission (NULM) in the Sub-Committee of SLBC that monitors progress of National Rural Livelihood Mission (NRLM).

2. SLBC Convener Banks are therefore advised to make necessary arrangements in their respective states to include NULM as an agenda in the Sub-Committee of SLBC that monitors NRLM.

Yours faithfully,

(Rajesh Bansal)
General Manager

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10 वी मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई - 400001
Financial Inclusion & Development Dept, Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No. 10014, Mumbai-1

टेली Tel:022-22601000 फैक्स: 91-22-22621011/22610943/22610948 ई -मेल : cgmncfid@rbi.org.in

"चेतावनी: भेज रिजर्व बैंक द्वारा ड्राक, एसएमएस या कोन कोन के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का अंकारा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब नहीं दी जिया।"

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.